# डिस्कलेमर

**आदेश संख्या 08/2024-25 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

**फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई-कोयम्बटूर जीआईएएल/सीपी-III/2022-27**

**आदेश संख्या 08/2024-25**

सत्यमेव जयते

# भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

## कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर (सीजेबी) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

**जारी करने की तारीख : 09 सितम्बर, 2024**

तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

## 15 *प्राधिकरण के निर्णयों का सार*

**अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का ट्रूअप**

4.11.1 तालिका 15 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.11.2 तालिका 17 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.11.3 तालिका 18 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.11.4 तालिका 19 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए एफआरओआर को मानना।

4.11.5 तालिका 34 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के प्रयोजन से ओ एंड एम खर्च को मानना।

4.11.6 तालिका 38 में प्रस्तुत किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के प्रयोजन से गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.7 तालिका 45 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए कराधान को मानना।

4.11.8 तालिका 42 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.9 तालिका 47 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा द्वितीय नियंत्रण अवधि में प्रथम नियंत्रण अवधि की कमी को समायोजित करना।

**अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात**

5.6.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 52 के अनुसार एटीएम और यात्री यातायात को मानना।

5.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री यातायात) को ट्रूअप करना।

**अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार**

6.8.1 तालिका 54 में दिए गए विवरण के अनुसार 01 अप्रैल, 2023 को सकल परिसंपत्ति ब्लॉक के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन को मानना।

6.8.2 तालिका 62 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.8.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रू-अप करना।

6.8.4 पैरा 6.2.25 में उल्लेख किए अनुसार कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

6.8.5 तालिका 65 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.8.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

6.8.7 कोयम्बटूर अंततराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 67 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.8.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

**अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर**

7.6.1 14.00 % ईक्विटी की लागत को मानना।

7.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 7.25 % की ऋण की लागत को मानना।

7.6.3 तालिका 70 के अनुसार ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और लक्षित अनुपात के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 13.71% के एफआरओआर को मानना।

7.6.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को ट्रू-अप करना।

**अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति**

8.6.1 तालिका 72 में दिए गए विवरण के अनुसार कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

**अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च**

9.6.1 तालिका 81 के अनुसार कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता के मूल्यांकन की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के ट्रू-अप को मानना।

**अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर)**

10.6.1 कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 87 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता के मूल्यांकन की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

**अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान**

11.5.1 कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 90 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.5.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त ढंग से ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को ट्रू-अप करना।

**अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता**

12.6.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

**अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**

13.6.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 94 के अनुसार एआरआर को मानना।

13.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर को ट्रू-अप करना।

**अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व**

14.6.1 तालिका 99 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को ट्रू-अप करना।

## 16 आदेश

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-1 में बताए अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

16.1.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक-1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

16.1.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

16.1.4 यह आदेश 16 सितम्बर, 2024 से प्रभावी किया जाएगा।

16.1.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश-2011 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

**प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता**

**(सुयश नारायण)**
**सचिव, ऐरा**

**सेवामें,**

**अध्यक्ष,**
**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,**
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि;

1. **सचिव,** नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय** :एआईसी जारी करने के लिए

## 16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 13 मार्च, 2024 तक भेज दिया जाए।

**सचिव**,
**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**
**ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,**
**नई दिल्ली –110003.**
**फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048**

**(अध्यक्ष)**